[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART I, SECTION 1]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF EDUCATION

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 26th August, 2025

No. 1-22/2024-PMP.6 :- In supersession of the notification No. F.II-3/2016-Sch.3, dated the 15th November, 2021, of the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, the Central Government hereby entrusts the National Council of Educational Research and Training (NCERT) with the responsibility of granting equivalence to Secondary (Class 10th) or Senior Secondary (Class 12th) certificates awarded by Secondary or Senior Secondary School Examination Boards in India, for the purpose of admission of students to higher education institutions and employment to the Central Government, State Governments and Union territories.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. It shall apply to the Central Government or State Governments and private Indian School Boards established by–

(a) an Act of Parliament or State legislature; or

(b) an executive order of the Central Government or State Governments; or

(c) the Central Government or State Governments or statutory bodies or recognised institutions that have the mandate so to do.

4. The NCERT shall discharge its responsibility, through the National Assessment Centre, that is, the Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development (PARAKH), which has been established as per paragraph 4.41 of the National Education Policy 2020, subject to the following conditions, namely: –

(a) the NCERT while considering the equivalence determination process shall ensure that –

(i) compliance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);

(ii) alignment with the National Curriculum Framework; and

(iii) adherence to the National Education Policy 2020, and the guidelines issued thereunder;

(b) the NCERT shall prepare a standard operating procedure in consultation with the Department of School Education and Literacy, and Department of Higher Education, Ministry of Education.

5. (a) the NCERT will appropriately enhance its capacity to undertake this task.

(b) A Standard Operating Procedure (SOP) shall be prepared by NCERT for this purpose for all school boards in India in consultation with Department of School Education and Literacy, and Department of Higher Education, Ministry of Education.

(c) The SOP shall ensure *inter alia* that the applicant School Education Board is following the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the National Curriculum Framework (NCF) for the time being enforce and the National Educational Policy (NEP-2020)

(d) The SOP shall ensure that the teachers in schools affiliated to the Board possess qualifications as laid down by the National Council for Teacher Education (NCTE).

(e) The SOP shall also ensure that the due diligence process is rigorous and is based on the NCF, a clear-cut scheme or bye-laws of examinations and affiliation and follows all other laws, rules, regulations or processes applicable to School Boards while granting such equivalence.

(f) As one time measure, the NCERT shall constitute an expert committee comprising representatives from the Univesity Grant Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Central Board of Secondary Education (CBSE), National Institute of Open Schooling (NIOS) and other members as deemed fit by NCERT for drafting the SOP that shall be examined by the Department of School Education and Literacy, and Department of Higher Education, Ministry of Education prior to implementation.

6. Equivalence granted by the NCERT shall automatically be considered as inter-se parity between the Boards in India, facilitating smooth inter-School Education Board migrations and such equivalence shall be valid at all India level for the purpose of higher education and employment.

(Shib Das Sarkar)
Director

शिब दास सरकार/Shib Das Sarkar
निदेशक/Director
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग/Dlo School Education and Literacy
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi-110001

To

The Manager,
Government of India Press,
Minto Rd, Press Enclave,
Barakhamba, New Delhi,
Delhi 110002.
(With Hindi Version)

Copy to:

1. Association of Indian Universities (AIU)
2. National Council of Educational Research and Training (NCERT)

(Shib Das Sarkar)
Director

शिब दास सरकार/Shib Das Sarkar
निदेशक/Director
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग/Dlo School Education and Literacy
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi-110001

(भारत के राजपत्र, भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 26 अगस्त, 2025

सं. 1.22/2024-पीएमपी.6:- केन्द्रीय सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना सं. फा.II-3/2016-स्कूल.3 तारीख 15 नवंबर, 2021 को अधिक्रांत करते हुए, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों में नियोजन के प्रयोजन के लिए, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा द्वारा प्रदान किए जाने वाले माध्यमिक (10वीं कक्षा) या उच्चतर माध्यमिक (12वीं कक्षा) को समतुल्यता प्रदान करने के उत्तरदायित्व से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को न्यस्त करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3. यह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों और निम्नलिखित द्वारा स्थापित प्राइवेट भारतीय स्कूल बोर्डों को लागू होगी-

(क) संसद या राज्य विधान मंडल का अधिनियम; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के कार्यपालिक आदेश या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या कानूनी निकायों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं जिन्हें ऐसा करने के लिए आदेश दिया गया है।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण केन्द्र अर्थात् निष्पादन मूल्यांकन सांकल्यवादी विकास के लिए ज्ञान का पुनर्विलोकन और विश्लेषण (परख) जिसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के पैरा 4.41 के अनुसार स्थापित किया गया है, के माध्यम से, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा अर्थात्:-

(क) समतुल्यता अवधारण प्रक्रिया पर विचारण करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि

(i) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 (2009 का 35) का अनुपालन;

(ii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के साथ संरेखण; और

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन;

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करेगी।

5. (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् इस कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता का समुचित रूप से वर्धन करेगी।

(ख) मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से भारत में सभी स्कूल बोर्डों के लिए इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) मानक प्रचालन प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक स्कूल शिक्षा बोर्ड तत्समय प्रवृत्त नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का पालन कर रहा है।

(घ) मानक प्रचालन प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड से सहबद्ध स्कूलों में अध्यापक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा यथा अधिकथित अर्हताएं रखते हैं।

(ड.) मानक प्रचालन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सम्यक् तत्परता प्रक्रिया कठोर है और एनसीएफ, स्पष्ट स्कीम या परीक्षाओं की उपविधियों और सहबद्धता पर आधारित हैं और ऐसी समतुल्यता प्रदान करते समय स्कूल बोर्डों को लागू सभी अन्य विधियों, नियमों, विनियमों या प्रक्रियाओं का पालन करती है।

(च) एक बारगी उपाय के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय मुक्त स्कूल संस्थान (एनआईओएस) से प्रतिनिधियों और मानक प्रचालन प्रक्रिया जिसकी समीक्षा इसके कार्यान्वयन से पूर्व स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी, का प्रारूपण करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा ठीक समझे गए सदस्यों से मिलकर बनी विशेषज्ञ समिति गठित करेगी।

6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रदान की गई समतुल्यता पर स्वत: भारत में बोर्डों के बीच परस्पर समानता के रूप में विचार किया जाएगा जो निर्बाध अंतर-स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थानांतरण को सुकर बनाएगी और ऐसी समतुल्यता उच्चतर शिक्षा तथा नियोजन के प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विधिमान्य होगी।

(शिब दास सरकार)

निदेशक

शिब दास सरकार/Shib Das Sarkar
निदेशक/Director
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग/Dlo School Education and Literacy
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi-110001

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, प्रेस एन्क्लेव,

बाराखंभा, नई दिल्ली,

दिल्ली 110002

(हिंदी संस्करण के साथ)

प्रतिलिपि:

1. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

(शिब दास सरकार)

शिब दास सरकार/Shib Das Sarkar
निदेशक/Director
भारत सरकार/Govt. of India
शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग/Dlo School Education and Literacy
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi-110001